

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

बद्रीप्रसाद बनाम कबूलचन्द वगै०

कैसम मुकदमा प्रार्थना पत्र 128 एल आर एक्ट

मुकदमा नम्बर 171 सन् 2020

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 26.04.2021 को पेश हो।




26/4 कोरोना महामारी के प्रकोप को मध्य नजर रखते हुये इकजाई तारीख पेशी दी जाने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/6/21 को पेश हो।

14/6 कोरोना महामारी के प्रकोप को मध्य नजर रखते हुये इकजाई तारीख पेशी दी जाने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3/8/21 को पेश हो।


03-08-21 पत्रावली पेशा हुयी। वकुलाम उभय पक्ष उप०। वकील उतिवादी ने जबाब प्रार्थना पत्र पेशा किया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय 18/8/21 को पेशा हो।



18/08/2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील उभय पक्ष उप०। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं उत्तरदाता अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसका कोई विभाजन नहीं हुआ है अतः प्रार्थी के हिस्से तक पत्थरगढी नहीं की जाकर सम्पूर्ण खसरा नम्बर की पत्थरगढी की जावे। बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध

 (बुजबा सुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)


राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2019 का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि राजस्व ग्राम धांधेला स्थित वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अतः सहखातेदार अप्रार्थी व पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।


(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम धांधेला स्थित भूमि खसरा नंबर 93, 94 सम्पूर्ण की प्रार्थी, सहखातेदार अप्रार्थी एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान 21.06.2019 पत्थरगढ़ी की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)